



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239336  
CG-DL-E-04102022-239336

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4469]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944

No. 4469]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2022

**का.आ. 4677(अ).**—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान पुत्र अलफदीन, जो गांव गुंथल, तहसील सूरनकोट, जिला पुंछ, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय पाकिस्तान में रह रहा है, जिसके पास पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 81202-2422158-7 है, जो हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी/जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स का आपरेशनल कमांडर है ;

और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 7 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त जफर इकबाल स्वापक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के पर्यवेक्षण में शामिल है ;

और उक्त जफर इकबाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ में शामिल है ;

और उक्त जफर इकबाल आतंक के वित्त पोषण क्रियाकलापों तथा कूटकृत मोबाइल फोन आधारित संदेश अनुप्रयोगों के दुरुपयोग द्वारा आतंकवादियों की आनलाइन भर्ती में सम्मिलित है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“46. जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान” ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4676(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

**S.O. 4677(E).**—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan, son of Alafdin, belonging originally to Village Gunthal, Tehsil Surankote, District Poonch, Jammu and Kashmir, presently residing in Pakistan, having Pakistan's Computerised National Identity Card No. 81202-2422158-7, is operational commander of Harkat-ul-Jihad-e-Islami/ Jammu Kashmir Ghaznavi Force;

And whereas, Harkat-ul-Jihad-e-Islami is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No.7;

And whereas, the said Zafar Iqbal, is involved in supervising narcotics and weapon smuggling;

And whereas, the said Zafar Iqbal is involved in infiltration of terrorists in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Zafar Iqbal is involved in terror funding activities and online recruitment of terrorist by misusing encrypted mobile phone based messaging applications;

And whereas, the Central Government believes that Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan is involved in terrorism and the said Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 45 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“46. Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan”.

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

**Note :** The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4676 (E)., dated the 4th October, 2022.